न्यायालयः– गिरीश कुमार शर्मा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प.नि. खरगोन मध्यप्रदेश

क्रमांक 783/आप./2026 खरगोन, दि. 25.04.2026

:: आदेश ::

मैं गिरीश कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन जिला–मण्डलेश्वर (म.प्र.) इस आदेश द्वारा सार्वजनिक अवकाश हेतु न्यायिक कार्य के सुचारू रूप से संचालन के लिए न्यायिक जिला मण्डलेश्वर में पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों को **माह मई में दिनांक 01.05.26 से 10.05.2026 तक** के लिए निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है।

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पद	रिमांड ड्यूटी दिनांक
1	श्री रोहित कुमार जेएमएफसी खरगोन	–
2	श्रीमती सविता वर्मा जेएमएफसी खरगोन	–
3	श्री विनयसिंह राजपूत जेएमएफसी खरगोन	2, 3
4	श्री कमलेश वरवनिया, जेएमएफसी खरगोन	1, 10
5	निर्भयसिंह गर्वा जेएमएफसी भीकनगांव	1, 2
6	श्री राजेन्द्र बर्मन जेएमएफसी भीकनगांव	3, 10
7	श्री मोहित बडके जेएमएफसी मण्डलेश्वर	3, 10
8	सुश्री प्रितीबाला मुनिया जेएफएफसी मण्डलेश्वर	1, 2 (उक्त दिनांक की न्यायालय कसरावद की रिमाण्ड ड्यूटी भी संपादित करेंगे।)
9	सुश्री दिव्या विश्वकर्मा जेएमएफसी महेश्वर	1, 2, 3, 10
10	श्री अभिषेक साहू जेएमएफसी महेश्वर	–
11	सुश्री इतीशा सांघवी जेएमएफसी कसरावद	3, 10
12	सुश्री वंदना मालवीय जेएमएफसी, बडवाह	1, 2, 3 (उक्त दिनांक की न्यायालय सनावद की रिमाण्ड ड्यूटी भी संपादित करेंगे।)
13	श्री योगेश चालीसा जेएमएफसी, सनावद	10 (उक्त दिनांक की न्यायालय बड़वाह की रिमाण्ड ड्यूटी भी संपादित करेंगे।)
14	सुश्री आकांक्षा गर्ग जेएमएफसी, सनावद	–

नोटः–

1– न्यायिक मजिस्ट्रेट दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य रिमाण्ड ड्यूटी का सम्पादन करेंगे।

2– जहॉ एक से अधिक न्यायिक अधिकारी हों, वे आपस में लिखित में सहमति बनाकर रिमांड ड्यूटी परिवर्तित करने की लिखित सूचना माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, प.निमाड मण्डलेश्वर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजेंगे तथा अनुमति के उपरांत ही रिमांड ड्यूटी परिवर्तित मानी जायेगी।

3– यदि किसी न्यायिक अधिकारी को, जिसकी रिमांड ड्यूटी लगी है तथा उसे अपरिहार्य कारणवश अवकाश में जाना आवश्यक है तो आगामी तिथी पर रिमांड करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट लिखित सूचना माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, प.निमाड मण्डलेश्वर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेजकर अनुमति प्राप्त होने पर ही अवकाश का उपभोग करेंगे।

4– माह में अवकाश घोषित होने की दशा में खरगोन मुख्यालय पर –श्री **कमलेश चरवनिया** जेएमएफसी खरगोन, मण्डलेश्वर मुख्यालय पर –**श्री मोहित बडके** जेएमएफसी मण्डलेश्वर, महेश्वर मुख्यालय पर –**सुश्री दिव्या विश्वकर्मा** जेएमएफसी महेश्वर, कसरावद मुख्यालय पर –**सुश्री इतीशा सांघवी,** जेएमएफसी कसरावद, बड़वाह मुख्यालय पर– **सुश्री चंदना मालवीय** जेएमएफसी बड़वाह, सनावद मुख्यालय पर **श्री योगेश चालीसा,** जेएमएफसी सनावद, भीकनगांव मुख्यालय पर – **श्री राजेन्द्र बर्मन** जे.एम.एफ.सी. रिमांड कार्य संपादित करेंगे। अवकाश पर रहने वाले अधिकारी का कार्य प्रभार में रहने वाले अधिकारी संपादित करेंगे।

4– तहसील सनावद एवं बडवाह में रिमाण्ड ड्यूटी संचालित करने वाले जे.एम.एफ.सी. के अवकाश पर रहने की दशा में–

ए– सनावद तहसील के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों की समस्त रिमाण्ड, सुसंगत दिनांक को बडवाह में रिमाण्ड ड्यूटी संचालित करने वाले जे.एम.एफ.सी. संपादित करेंगे तथा

बी– बडवाह तहसील के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों की रिमाण्ड, सुसंगत दिनांक को सनावद में रिमाण्ड ड्यूटी संचालित करने वाले जे.एम.एफ.सी. संपादित करेंगे एवं

सी– सनावद तथा बडवाह, दोनों स्थानों के जे.एम.एफ.सी. के एक–साथ अवकाश पर होने की दशा में, तहसील सनावद एवं बडवाह के समस्त आरक्षी केन्द्रों की रिमाण्ड, सुसंगत दिनांक को मण्डलेश्वर में रिमाण्ड ड्यूटी संचालित करने वाले जे.एम.एफ.सी. संपादित करेंगे।

5– यदि रिमांड ड्यूटी हेतु निधारित तिथियों में कोई प्रोटोकॉल ड्यूटी अधिरोपित होती है तो रिमांड ड्यूटी वाले मजिस्ट्रेट द्वारा ही सुचारू रूप से उक्त ड्यूटी निष्पादन में आवश्यक सहयोग किया जावेगा।

9.5.4.2026

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन
जिला–मण्डलेश्वर (म.प्र.)